इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 07 फरवरी 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति----------1
मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
पण्य (जिंस) बाज़ार----------5
अर्थव्यवस्था----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई
अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक : मौद्रिक नीति 2010-11 की तीसरी तिमाही की समीक्षा

दरें

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्खरीद (Repo) दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.50% किए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.50% किए।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को 6% पर अपरिवर्तित रखा गया।

चलनिधि

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों को 8 अप्रैल, 2011 तक जमाराशियों के 1% की अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्रदान की गई।
- दूसरी चलनिधि सहायता 8 अप्रैल, 2011 तक दैनिक आधार पर संचालित की जाएगी।
- नीतिगत परिणामों से बैंकों को चलनिधि के प्रबन्धन में सहूलियत मिलना जारी रहने की आशा है।
- चलनिधि की कमी दूर होने की आशा है, क्योंकि सरकार की शेषराशियां व्यय अनुसूची से समायोजित होंगी।
- ऋण एवं जमा की वृद्धि दरों में बढ़ते अन्तर ने उच्च मुद्रा वृद्धि के साथ मिल कर संरचनागत चलनिधि की कमी को विशिष्टीकृत कर दिया है।

वर्तमान वृद्धि

- ऋण वृद्धि का भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशक अनुमानित स्तर तक घटना आवश्यक है।
- वर्ष 2010-11 के लिए एम3 की वृद्धि से सम्बन्धित अनुमान 17% पर कायम रखा गया; ऋण वृद्धि से सम्बन्धित अनुमान 20% पर कायम रखा गया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों के साथ चर्चा करेगा जो असामान्य वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात दर्शाते हैं।

मुख्य घटनाएं

अभिनव पहचान पत्र भविष्य निधि खाता संख्या का स्थान ले सकता है

सेवानिवृत्ति निधि का प्रबन्धक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भविष्य निधि (PF) खाता संख्या को अभिनव पहचान संख्या (UID) से प्रतिस्थापित करना चाहता है, जो एक ऐसा कदम है जो नौकरी में परिवर्तन होने की स्थिति में अभिदाताओं की निधियों के शीघ्र अंतरण में सहायता करेगा तथा उन्हें अपने खाते का ऑनलाइन पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान में अन्तरण प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत से अभिदाता धनराशि आहरित कर लेते हैं और नये नियोक्ता के साथ नया खाता खोल लेते हैं।

अब बैंक आपके सेल फोन पर

भारती एअरटेल और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा की है, जिसके द्वारा भारती एअरटेल भारतीय स्टेट बैंक का कारबार संपर्की (BC) बन जाएगा। प्रारंभ में दोनों कम्पनियां इस सुविधा में, जो 31 मार्च तक आरंभ की जाएगी, 100 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इस संयुक्त उद्यम के कारण वर्तमान एअरटेल प्रयोक्ता एक नो फ्रिल्स खाता खोलने और बैंक जमाराशियों वाले तरीके से धन जमा करने में समर्थ होगा। इसके बाद ग्राहक अपने सेल फोन के माध्यम से लेनदेन करने में समर्थ हो जाएगा। वोडाफोन- एस्सर ने भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसी प्रकार के गंठजोड़ की घोषणा की है। दोनों ही कम्पनियां सेल फोन पर आधारित एक प्लेटफार्म के माध्यम से बचत खाते, पूर्व-प्रदत्त लिखतों तथा ऋण उत्पादों जैसे वित्तीय उत्पादों की सुविधाएं प्रदान करेंगी।

प्रत्येक एटीएम लेनदेन के लिए पिन दर्ज करना आवश्यक होगा

एटीएम प्रयोक्ताओं के लिए अब धन आहरण, शेषराशि की जानकारी और खाते के विवरण जांचने जैसे प्रत्येक अलग-अलग लेनदेन के लिए पिन को नये सिरे से पुन: दर्ज करना आवश्यक होगा। अनधिकृत लोगों द्वारा एटीएम कार्डों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से पिन (वैयक्तिक पहचान संख्या), जो एटीएम लेनदेनों के लिए पासवर्ड की भांति कार्य करती है, की एक प्रविष्टि पर केवल एक लेनदेन की अनुमति देने के लिए कहा है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग कम्पनियों के कारबार में विनियामक अंतरों को मिटाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जमा न स्वीकार करने वाली सर्वांगी महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के बारे में विनियमन को कठोर बनाने से कारबार खिसक कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को चले जाने से विनियामक अंतरपणन के लिए प्रोत्साहन बढ़ गये हैं। यह दावा करते हुए कि कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी स्थापित करना उनके लिए प्रवेश स्थल से सम्बन्धित अधिक आकर्षक मानदंड है (वर्तमान में 2 करोड़ की निवल स्वाधिकृत निधियां बैंकों के मामले में अपेक्षित निधियों अर्थात् 300 करोड़ रुपये की तुलना में कम हैं) और यह कि उन पर तुलनात्मक रूप से हल्के विनियमन लागू होते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि "विशेष रूप से तेजी से विस्तार कर रहे गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र के संदर्भ में कुछेक चिंताएं बनी हुई हैं।"

बैंकों के लिए परिचालन जोखिम से सम्बन्धित नियमों का प्रारूप जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना करने के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA) से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी कर दिया है। वह बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालन जोखिम की विनियामक पूंजी के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण अपनाता है, परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना भी स्थान्तरण की तिथि से कम से कम तीन वर्ष के लिए वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार करेगा। तदनुसार उस बैंक को पहले वर्ष में 100% , दूसरे वर्ष के लिए 90% तथा तीसरे वर्ष के लिए 80% पूंजी रखनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंड आशोधित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से उत्कृष्ट मानक आस्तियों के सम्बन्ध में 0.25% का प्रावधान करने के लिए कहा है। अब तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को केवल अनर्जक आस्तियों (NPAs) के लिए ही प्रावधान करने पड़ते थे। यह कदम प्रति-चक्रीयता के हित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां स्वयं को आर्थिक मंदी के प्रभाव से संरक्षित रखने के लिए वित्तीय सुरक्षित कोष का सृजन करें। प्रावधान के विवेचन के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानं को सकल अग्रिमों से घटाया जाना आवश्यक नहीं है, अपितु उसे तुलन पत्र में 'मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को मानक आस्तियों से सम्बन्धित प्रावधान को टियर II पूंजी में शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य सामान्य प्रावधानों और हानि की आरक्षित निधि के साथ यह कुल जोखिम-भारित आस्तियों के केवल 1.25% तक ही टियर II पूंजी के रूप में स्वीकार की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल II मानदंडों की सामयिकता प्रस्तावित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए बासेल II के तहत उन्नत जोखिम मानदंडों, जो जोखिमों का निर्धारण करने हेतु विश्व भर के बैंकों के लिए उन्नत मानकों को अपरिहार्य बनाते हैं, को अपनाने के लिए सामयिकता प्रस्तावित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया है कि बैंक इन मानदंडों को 1 अप्रैल, 2012 तक अपनाने के लिए काफी पहले आवेदन कर दें, जिसके लिए उसे 31 मार्च, 2014 तक अनुमोदन प्रदान कर देना चाहिए। बैंकों को उन्नत मानदंडों को अंगीकृत करने हेतु उनकी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन कर लेने और उसके बाद यह निर्णय लेने की सलाह दी गई है कि उसे अपनाया जाए अथवा नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आधार दर की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हेतु और समय दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आधार दर के परिकलन में प्रयुक्त आधार एवं कार्यप्रणाली को परिवर्तित करने के लिए छ: माह (अर्थात् वर्ष 2011 के जून माह के अंत तक) का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इस मुहिम का लक्ष्य बैंकों की आधार दर की गणना की प्रणाली को स्थिर करने में सहायता प्रदान करना है। बैंक 1 जुलाई, 2010 से आधार दर से सम्बद्ध ऋण मूल्य-निर्धारण प्रणाली अपनाते आ रहे हैं। बैंक इस दर, जो वर्तमान में 8 से लेकर 9.5 % के बीच में है, से कम पर उधार नहीं दे सकते।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआईसी से सम्बन्धित मानदंड आशोधित किए

प्रमुख निवेश कम्पनियां वे हैं, जिन्होंने अपनी आस्तियों को समूह कम्पनियों में हित धारित करने, न कि क्रय-विक्रय करने के लिए मुख्यतया शेयरों में निवेश के रूप में रख छोड़ा है तथा वे कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप भी नहीं करतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि प्रमुख निवेश कम्पनियां (CICs) न्यायोचित रूप से विनियामक निर्धारणों में ऐसे विभेदक व्यवहार की पात्र हैं, जो उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू होते हैं, जो जमा न स्वीकार करने वाली तथा सर्वांगी महत्वपूर्ण हैं। अंतिम तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली प्रमुख निवेश कम्पनियों को सर्वांगी महत्वपूर्ण (CICs-ND=SI) के रूप में परिभाषित किया गया था और उनके लिए एक विनियामक ढांचा लागू किया गया था। उनके लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा उन्हें निवल स्वाधिकृत निधियां रखने और एक्सपोजर सम्बन्धी मानदंडों से कुछेक शर्तों के अध्ययीन छूट प्राप्त होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से टियर-I बॉण्डों पर प्रवर्धन विकल्प न प्रदान करने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से प्रवर्धन (step-up) विकल्प वाले टियर 1 और टियर 2 पूंजीगत लिखत न जारी करने के लिए कहा है, ताकि वे बासेल III मानदंडों में विनियामक पूंजी की परिभाषा की संपुष्टि कर सकें। प्रवर्धन विकल्प बैंकों को प्रारंभिक वर्षों में एक विशिष्ट कूपन दर का भुगतान करने और उसके बाद उत्तरवर्ती वर्षों में दर को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है।

विदेशी बैंकों की शाखाओं को भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के 40% के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक होगा : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विचार-विमर्श दस्तावेजों में यह आदेश दिया है कि पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों के रूप में गठित विदेशी बैंकों के लिए भी ठीक घरेलू वाणिज्यिक बैंकों की भांति ही समायोजित निवल बैंक ऋणों के 40% के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक होगा। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन सहायक कम्पनियों द्वारा कृषि क्षेत्र को उधार देने हेतु 10% का कमतर उप-लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया है, क्योंकि इन शाखाओं का शाखा विस्तार सीमित होगा। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए कृषि-उधार लक्ष्य 18% है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह भी सुझाव है कि इस उप-लक्ष्य का 2.5 % से अनधिक अंश ठीक वाणिज्यिक बैंकों के समान ही अप्रत्यक्ष कृषि वित्तीयन से सम्बन्धित होना चाहिए। वर्तमान में विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए कृषि-उधार हेतु कोई लक्ष्य या उप-लक्ष्य नहीं निर्धारित है तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य 32% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दर बढ़ाए जाने की तैयारी के कारण अदला-बदली दरें वर्ष 2008 वाले उच्च स्तर पर

भारत में पांच-वर्षिय ब्याज दरों को अवरुद्ध करने की लागत वर्ष 2008 के बाद उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है, क्योंकि निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में एशिया की सर्वाधिक आक्रामक कठोरता लाए जाने से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अदला-बदली (swap) संविदा में पांच वर्षों का अस्थिर भुगतान प्राप्त करने हेतु नियत दर विगत वर्ष में 120 आधार अंक (bps) बढ़ गई - जो एशिया में सर्वोच्च है - और वह 20 जनवरी को 27 माह की अवधि में 8.09% के उच्च स्तर तक पहुंच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पुनर्खरीद दर को 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.5% कर देगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंकों का वित्तीय आधार सुदृढ़

भारतीय रिज़र्व बैंक की अद्यतन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बैंकिंग स्थिरता सूचकांक की तिमाही श्रृंखलाएं पिछले कुछेक वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में सुधार दर्शाती हैं। छमाही (सितम्बर, 2010) के दौरान प्रवर्धित जोखिम बोधों - मुख्यत: चलनिधि जोखिम - के परिणामस्वरूप इस सूचकांक में मामूली सी गिरावट आ गई थी। यह सूचकांक अलग-अलग सूचियों पर आधारित है और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक के रूप में एक एक-सूत्री निर्देश तैयार किया गया है। यह सूचकांक बैंकिंग स्थिरता के मानचित्र हेतु चयनित उन पांच उप-सूचकांकों के अनुपूरक का सामान्य औसत है, जिसका निर्माण भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया था। बैंकिंग स्थिरता के मानचित्र में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, आय की तुलना में लागत अनुपात, कुल ऋणों की तुलना में अनर्जक ऋणों के अनुपात, कुल आस्तियों की तुलना में अनिरुद्ध आस्तियों के अनुपात और कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात पर आधारित पांच मुख्य

जोखिम आयामों, यथा - बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता, परिचालन कार्यकुशलता, आस्ति की गुणवत्ता, चलनिधि एवं लाभप्रदता का उपयोग किया गया था।

बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों को 50 हजार करोड़ रुपये और उधार देने में समर्थ

भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बैंकों में लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम उधार देने की संभाव्यता मौजूद है। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007-2009 के दौरान बैंकों ने ऐसे लघु एवं मध्यम उद्यमों का, जिनका पण्यावर्त 50 करोड़ रुपये से कम है, उनकी वद्धिशील कार्यपूंजी के (75% की अपेक्षित रकम के समक्ष) केवल लगभग 60% का ही निधीयन किया था। यह कमी लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा स्वयं उनकी निधियों से पूरी की गई थी।

बैंकों को 10,000 करोड़ रुपये की पेंशन देयता को कई वर्षों तक विस्तारित करने की संभाव्य अनुमति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नये लेखांकन मानदंडों के कारण उनके लाभों और निवल मालियत पर पड़ने वाले एकबारगी आघात सहन करने से बचाते हुए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की उनकी संभाव्य पेंशन देयताओं को कई वर्षों तक विस्तारित करने की अनुमति दी जा सकती है। यह बैंकों के लिए एक राहत सिद्ध हो सकती है, जिन्हें सरकार द्वारा ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दिए जाने और 17.5% का वेतन संशोधन लागू किए जाने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मंजूर किए जाने के बाद देयताओं में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, यह छूट केवल ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि पर ही लागू होगी, जिसमें वेतन में संशोधन अथवा पेंशन से सम्बन्धित भार के लिए विचाराधीन लेखांकन विवेचन में कोई परिवर्तन नही होगा।

बैंक ऋण को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए विलयन को एक तरीके के रूप में देखते हैं

कम्पनियों के उसी प्रकार के कारोबार में अच्छे कार्य-निष्पादन के पिछले रिकार्ड रखने के कारण कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष उन आस्तियों (अर्थात् कम्पनियों) के विलयन को उत्प्रेरित करना चाहता है, जो कक्ष के पास काफी लम्बे समय से पुनर्व्यवस्था के लिए पड़ी हैं। इस प्रकार के विलयन उस कम्पनी के प्रवर्तक के साथ करार के अध्ययीन होंगे, जो कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष और ऋणदाताओं के पार्श्व में है। इस वास्तविकता ने कि उस आस्ति, जो अनर्जक हो चुकी है, का मूल्य कुछ समय बाद घट जाता है, कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष को ऋण पुनर्व्यवस्था की परंपरागत व्यवस्था के अलावा विलयन एवं अभिग्रहण विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। पारंपरिक रूप से (अन्य लोगों के साथ) लेनदार ऋण पुनर्व्यवस्था के अधीन ब्याज दरों मे कमी करके, चुकौतियों को पुनर्निर्धारित करके, ऋण को इक्विटी अथवा अधिमान शेयरों में परिवर्तित करके और मूलधन अथवा ब्याज को (एक सीमित स्तर तक) माफ करके रियायतं और माफी प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों की सहायक कम्पनियों को प्रोत्साहन का समर्थन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के लिए विस्तार की मौजूदा शाखा विधि के बजाय सहायक कम्पनी-प्रणीत मॉडेल का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। सहायक कम्पनी मार्ग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों पर चर्चा की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित कुछेक मुख्य प्रोत्साहनों में उदार शाखा विस्तार और विदेशी बैंकों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों (WOS) द्वारा गैर-इक्विटी पूंजीगत लिखत जारी करके रुपया संसाधन जुटाने की अनुमति दिया जाना शामिल है। वर्तमान विनियमन विदेशी बैंकों को केवल उनकी मूल संस्था अथवा प्रधान कार्यालय से नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति प्रदान करते हैं। किन्तु अब भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों को परिचालन की न्यूनतम अवधि पूरी कर लिए जाने पर न्यूनतम 26% का हित कम करके जनता से धन जुटाने की अनुमति दी जा सकती है।

विनियामकों के कथन

साहूकारों को प्रणाली से हटा दिया जाना चाहिए : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि दीर्घकालिक दृष्टि से वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का व्यापक ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रा उधार देने के क्षेत्र में केवल दो ही प्रतिस्पर्धी -यथा, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां रहें। इस विचार का लक्ष्य साहूकारों को प्रणाली से विलुप्त कर देना लगता है। डॉ. चक्रवर्ती इसके आगे भी यह कहते हैं कि "हमारा व्यापक ध्येय यह है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को आवश्यक रूप से साहूकारों के ग्राहकों को हथिया लेना चाहिए तथा बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के ग्राहकों को हथियाना चाहिए। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय समावेशन को एक व्यवहार्य कारोबार की दृष्टि से देखें तथा उन्हें उन 6 लाख गांवों तक पहुंचना चाहिए, जो अभी तक बैंक-रहित हैं। यद्यपि बैंकों ने इस क्षेत्र में परावर्तक प्रगति नहीं दर्ज की है, तथापि प्रगति निश्चित रूप से हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक पारिस्थितिकी तंत्र का परिकलन कर रहा है और इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।"

खुले बाज़ार के परिचालन बॉण्ड प्रतिफल को नियंत्रित करने हेतु नहीं : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बॉण्ड बाज़ार में खुले बाज़ार के परिचालन (OMO) ऋण प्रबन्धन लिखत की अपेक्षा मौद्रिक नीति के साधन अधिक हैं। "खुले बाज़ार के परिचालनों का उपयोग बॉण्डों के प्रतिफल को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है। खुले बाज़ार के परिचालन अधिक सहिष्णुतापूर्ण विधि से किए जा रहे हैं तथा वे प्रतिफल वक्र को प्रभावित करने के लिए नहीं हैं" यह कहना है भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का, जिन्होंने सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) जो इस समय 24% है, के विषय में यह खुलासा किया कि शीर्ष बैंक इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं महसूस करता। असामान्य रूप से वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात पर भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता के सम्बन्ध में डॉ. गोकर्ण का कहना है कि "बैंकों द्वारा जमा संग्रहण में तेजी आनी शुरू हो गई है, यद्यपि पच्चड़ अब भी शेष है।"

बैंकों के लिए आधारभूत सुविधा एक्सपोजर मे कमी लाना जरूरी

"आस्ति-देयता असंतुलन के कारण आधारभूत सुविधा के प्रति भारतीय बैंकों का प्रवर्धित एक्सपोजर अच्छा नहीं है", यह कहना है भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का। "अधिकांश बैंकों की वृद्धिशील ऋण वृद्धि आधारभूत सुविधा क्षेत्र को उधार देने से उद्भूत है। इस उधार में तीव्र उछाल आया है, क्योंकि यही वह स्रोत है जहां से मांग उठ रही है। हालांकि, दीर्घकाल के लिए उधार देना हमारे बैंकों के लिए अच्छा नहीं है।" भारतीय रिज़र्व बैंक के आंक़ड़े यह बताते हैं कि आधारभूत सुविधा क्षेत्र को बकाया बैंक ऋण 24 सितम्बर, 2010 के दिन 4,69,621 करोड़ रुपये था। अप्रैल-सितम्बर, 2010 की अवधि में बैंकों ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र को एक वर्ष पहले की इसी अवधि में उधार दिए गए 48.659 करोड़ रुपये की तुलना में 87,499 करोड़ रुपये उधार दिए। डॉ. गोकर्ण कहते हैं कि "आधारभूत सुविधा क्षेत्र को निधीयन का वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र की वित्तीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे। वित्तीय प्रणाली की समग्र क्षमता बढ़ाई जानी होगी, क्योंकि इस समय कोई एक चैनल इन आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। पूरे क्षेत्र में न कि केवल आधारभूत सुविधा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए निवेश की आवश्यकता है।"

गैर-ब्याजगत आय जोखिमपूर्ण हो सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने आगाह किया है कि जहां गैर-ब्याजगत आय निश्चित रूप से विविधीकरण का लाभ प्रदान करती है, वहीं यह आवश्यक रूप से परंपरागत ऋणों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण नहीं हो सकती। इसमें वित्तीय जोखिमों के अलावा, विशेषत: उस समय जब बैंक अन्य पक्ष के उत्पादों का वितरण करने में संलग्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा जोखिम निहित हो जाते हैं।" इस सम्बन्ध में नियम-आधारित निर्धारण नहीं हो सकते। किन्तु, बैंक के निदेशक मण्डलों को अन्तर्निहित जोखिमों को गंभीरतापूर्वक समझने, इस बात का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि प्रतिलाभ जोखिमों के अनुरूप हैं या नहीं तथा बैंकों के इस प्रकार के कारबार पर निगरानी रखने की जरूरत है। बाजार अनुशासन को प्रभावी बनाने के लिए शुल्क-आधारित आय के प्रवर्धित दानेदार प्रकटन पर विचार किया जाना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि विनियामक निर्धारणों में 'चिरभोग्य वस्तु के रूप में जोखिम' की संकल्पना को मान्यता नहीं दी गई है तथा बैंकों के ऋण देने और बॉण्डों में निवेश करने के माध्यम से ऋण जोखिम (एक्सपोजर) उठाने के बीच मूलभूत भेद समाप्त नहीं हो जाता। "कारपोरेट बॉण्डों, विशेषत:ऐसे गैर-श्रेणी निर्धारित बॉण्डों, जो छद्म ऋणों के अलावा और कुछ भी नहीं हैं, में बैंकों के निवेशों को रोकने के बारे में निर्धारण हैं। हाल ही में आधारभूत सुविधा विकास में संलग्न कम्पनियों द्वारा जारी बॉण्डों के मामले में इन मानदंडों से एक सीमित छूट प्रदान की गई है।"

विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 66, 233	299, 395
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 31, 850	269, 551
ख) सोना	1, 00, 686	22, 470
ग) विशेष आहरण अधिकार	23, 424	5, 126
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	10, 273	2, 248

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

फरवरी 2011 माह के लिए लागू विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.78125	0.7820	1.2400		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.78125	0.782	1.240	1.710	2.145
जीबीपी	1.53313	1.7500	2.2180	2.6030	2.9130
यूरो	1.57375	2.027	2.360	2.618	2.839
जापानी येन	1.56750	0.421	0.480	0.555	0.650
कनाडाई डालर	1.89167	1.788	2.102	2.401	2.659
आस्ट्रेलियाई डालर	5.59750	5.250	5.360	5.600	5.720

सूक्ष्मवित्त

मालेगाम समिति द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्था वाली श्रेणी की गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए दर सीमा की पैरवी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त मालेगाम समिति ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों पर 24% की ब्याज दर सीमा की सिफारिश की है। विनियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु उक्त समिति ने चार स्तंभों वाले दृष्टिकोण की सिफारिश की है, जिसमें जिम्मेदारियां सूक्ष्म वित्त संस्था, उद्योग संघों, बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वहन की जाएंगी। उक्त पैनल यह भी महसूस करता है कि सूक्ष्म वित्त को शामिल करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई जाए। इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को राज्य साहूकारी अधिनियम से छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा, यदि ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आन्ध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संस्था (साहूकारी विनियमन) अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पैनल ने यह सिफारिश की है कि प्रस्तावित अधिनियम द्वारा अभिशासित कम्पनियों को बचत सेवाएं प्रदान करने का कारबार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को जमाराशियां संग्रहीत करने अथवा एजेन्ट अथवा कारबार संपर्की के रूप में परिचालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें केवल उधार देने का कार्य करने की अनुमति होगी।

बैंकों को सूक्ष्म वित्त संस्था ऋण पुनर्व्यवस्थित करने से छूट मिली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को दिए गए ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने से बैंकों को एक बार की छूट प्रदान कर दी है। तदनुसार, मार्च 2011 के पहले पुनर्व्यवस्थित ये अप्रतिभूत ऋण मानक आस्ति माने जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को उधार देना जारी रखने के लिए भी कहा है। इस उपाय से बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कुछ हद तक चलनिधि सहायता प्राप्त होगी तथा मालेगाम समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की कार्यप्रणाली में दीर्घकालिक एवं ढांचागत परिवर्तन करने के लिए उपाय किए जाने तक कुछ समय के लिए परिचालनों को जारी रखने में सहूलियत मिलने की आशा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से मानक पुनर्व्यवस्थित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं विनियामक आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए कहा है, भले ही वे पूरी तरह प्रतिभूत न हों।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए ग्राहक-प्रेरित दृष्टिकोण ही भावी मार्ग

विशेषज्ञों ने मत व्यक्त किया है कि आन्ध्र प्रदेश में संकट से पीड़ित सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए ग्राहक-प्रेरित दृष्टिकोण ही भावी मार्ग होना चाहिए। वित्तीय समावेशन के लिए अनन्य फाइनैन्स की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री विजयलक्ष्मी दास कहती हैं कि "सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए यही वह समय है जब इस पर चिंतन किया जाए कि गलती कहां हुई तथा यह निश्चित किया जाए कि हम उस संतुलन को नहीं प्रभावित होने देंगे, जिसे हमने कई वर्षों में सृजित किया है। निकट अतीत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं संख्याओं के पीछे दौड़ने के प्रयास में ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण की राह से भटक गई थीं। हम में से भी कुछेक अच्छे अभिशासन की व्यवस्था किए ही गैर-लाभ वाले ढांचे से लाभ के लिए ढांचे की ओर बढ़ चले थे। इस क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अब वह एकजुट हो जाए और'हमें किस प्रकार के अभिशासन को लागू करने की जरूरत है,' इसका पता लगाए।"

जिंस (पण्य) बाज़ार

वायदा बाज़ार आयोग ने लौह-अयस्क में वायदा लेनदेन अनुमोदत किया

जिंस बाज़ार के विनियामक वायदा बाज़ार आयोग (FMC) ने लौह -अयस्क (iron-ore) में वायदा लेनदेन को अनुमोदित कर दिया है। वायदा बाज़ार आयोग के अध्यक्ष श्री बी.सी खटुआ ने यह बताया है कि प्रारंभ में जिंस बाज़ार चार संविदाएं प्रवर्तित करेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (ICEX) बाज़ार विनियामक से सूचना प्राप्त करने के बाद लौह-अयस्क की वायदा संविदा की शुरूआत करने हेतु तैयार हैं। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (ICEX) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री संजय चंदेल का कहना है कि यह विश्व की पहली लौह-अयस्क संविदा होगी, जिसके माध्यम से इसमें व्यापारियों, खनिकों और आयातकों के भारी पैमाने पर सहभागिता किए जाने की आशा है।

अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्रालय की सरकारी बैंकों से घाटे को कम करने में सहायता की अपेक्षा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक दो ऐसे बैंक हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा विर्निवेश अभिलाभों में कमी की आशंका के बीच राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभांश चुकौती पर चर्चा करने हेतु बुलाया गया था। हाल ही में कतिपय बैंकों के प्रधान उस लाभांश की रकम को आंकने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसका बैंक वित्त वर्ष 11 के लिए भुगतान करने में समर्थ होंगे। यह सरकार को राजकोषीय घाटे का अधिक यथार्थपरक चित्र तैयार करने में समर्थ बनाएगा। इसके साथ ही सरकार बैंकों से या तो अंतरिम लाभांश प्रदान करने या फिर 20% लाभांश चुकौती सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी। सरकार द्वारा संचालित कम्पनियों द्वारा लाभांश की चुकौतियां सरकार के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, जिसने स्पेक्ट्रम नीलामी से हुई 1.3 लाख करोड़ रुपये की अप्रत्याशित आमदनी के बावजूद 5.5% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगा रखा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक सहायता के मुद्दे के अनिर्णीत रहने के परिणामस्वरूप सरकार को उसके द्वारा संचालित कम्पनियों के शेयरों के विर्निवेश से लक्ष्यांकित 40,000 करोड़ रुपये जुटाने में कमी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछेक वर्षों से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके निवल लाभ का 20% या उससे अधिक लाभांश के रूप में भुगतान करने का अनुदेश दे रखा है। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी तुलनात्मक रूप से कम है, आम तौर पर सरकार लाभांश चुकौती को निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में मापने को तरज़ीह देती है। इकॉनॉमिक टाइम्स इटेलीजेन्स ग्रुप (ETIG) द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 22 बैंकों में से 10 बैंकों ने उनके निवल लाभ के 20% से कम लाभांश का भुगतान किया है।

वर्ष 2010 की दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा 72% बढ़कर 15.8 बिलियन डालर हुआ

भारत के चालू खाते का घाटा जुलाई-सितम्बर 2010 की तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना मे 72% बढ़कर 15.8 बिलियन डालर हो गया। यह वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक आयात, व्यापक तौर पर आर्थिक पुनरुत्थान और कुछेक सेवाओं के लिए विदेशों में किए गए भारी भुगतानों के कारण है। पिछले वर्ष इसी अवधि में चालू खाते का घाटा 9.2 बिलियन था। पिछले वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा, जिसमें निवल निवेशगत आय के अलावा मालों, सेवाओ के विदेशी व्यापार में घाटे का समावेश होता है, सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहा तथा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्त वर्ष में यह और बढ़कर 3% (अथवा उसे भी अधिक) हो जाएगा।

नयी नियुक्तियां

- सरकार ने श्री आनंद सिन्हा की भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, डॉ. के सी. चक्रवर्ती और डॉ. सुबीर गोकर्ण के बाद श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक में चौथे उप गवर्नर होंगे।

- श्री नागेश पैदाह 1ली जनवरी, 2011 से ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

- श्री राकेश सेठी पंजाब नैशनल बैंक (PNB) के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ है	उद्देश्य
इंडियन बैंक	बजाज ऑटो	बजाज ऑटो द्वारा विनिर्मित तिपहिया वाहनों के वित्तीयन हेतु । समझौता ज्ञापन तिपहिया वाहनों के चालकों को संरचित बैंकिंग की परिधि में लाने मे सहायता करेगा तथा देशभर में सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक रहित उधार गतिविध बढ़ाने में इंडियन बैंक की सहायता करेगा।

कारपोरेशन बैंक	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	कम दूरी वाले वाणिज्यिक वाहनों के चालकों, ऑटो चालकों, कंडक्टरों, सफाईकर्मियों आदि को कारबार संपर्की (BC) मॉडेल के माध्यम से मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। इसने भारत पेट्रोलियम निगम लि. के लगभग 10 बिक्री केन्द्रों में पहले ही ऐसे हस्तचालित उपकरण लगा रखें हैं, जो स्मार्ट कार्डों के माध्यक से नकदी जमा करने, आहरित करने में समर्थ बनाएंगे।
भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (कोरियाई एक्जिम बैंक)	दोनों देशों के बीच व्यवसाय के अवसर बढ़ाने तथा प्रवर्धित व्यापार एवं निवेश के प्रवाहों को सुगम बनाने हेतु सहयोग ज्ञापन हस्ताक्षरित।
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	नैशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन (NBHC) के साथ समझौता ज्ञापन	गोदाम-आधारित रसीद वित्तीयन के लिए। वर्तमान में नैशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन संपार्श्विकों के प्रबन्धन हेतु 33 बैंकों से जुड़ा है।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की बदलती भूमिका

वर्ष 1930 से अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक और केन्द्रीय बैंक के साथ सहयोग केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों और केन्द्रीय बैंकों के विशेषज्ञों एवं अन्य एजेन्सियों की बासेल में आयोजित नियमित बैठकों के माध्यम से हुआ है। इस सहयोग के समर्थन में बैंक ने वित्तीय और मौद्रिक अर्थशास्त्र में स्वयं अपनी शोध व्यवस्था विकसित की है तथा वह आर्थिक एवं वित्तीय सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन एवं प्रसरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

मौद्रिक नीति के क्षेत्र में दूसरे विश्वयुद्ध के दुष्परिणामों के तत्काल बाद तथा 1970 वाले दशक के प्रारंभिक दिनों तक अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक में यह सहयोग ब्रेटन वूडस प्रणाली को कार्यान्वित और बचाने पर केन्द्रित था। 1970 और 1980 वाले दशकों में यह संकेन्द्रण तेल संकटों और अन्तरराष्ट्रीय ऋण संकट के बाद सीमा-पार वाले पूंजी प्रवाहों का प्रबन्धन करने पर था। 1970 वाले दशक के संकट ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के विनियामक पर्यवेक्षण के मुद्दे को सामने ला दिया , जिसका परिणाम 1988 के बासेल पूंजी करार तथा उसके 2001-06 के "बासेल II" संशोधन के रूप मे सामने आया। निकटतम अतीत में 1997 वाले एशियाई संकट द्वारा यथा रेखांकित आर्थिक एकीकरण और वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में वित्तीय स्थिरता के मुद्दे ने अत्यधिक ध्यान आकृष्ट किया है।

मौद्रिक नीति सम्बन्धी सहयोग को बढ़ावा देने के अलावा, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने केन्द्रीय बैंक समुदाय के लिए हमेशा "पारंपरिक" बैंकिंग कार्य (यथा सोने और विदेशी मुद्रा के लेनदेन) तथा न्यासी और एजेन्सी के कार्य निष्पादित किए हैं। अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक यूरोपियन पेमेन्ट्स यूनियन (EPU, 1950-58) का एजेन्ट था, जिस हैसियत से वह दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय मुद्राओं की परिवर्तनीयता को बहाल रखने में सहायता करता था। इसीप्रकार, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली (EMS, 1979-94) जो एकल मुद्रा की मुहिम के पहले मौजूद थी, सहित विभिन्न यूरोपीय विनिमय दर व्यवस्थाओं के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य किया है।

अंत में, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने जब कभी आवश्यकता पड़ी, अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को सहायता प्रदान करने के लिए आकस्मिक वित्तीयन प्रदान किया अथवा जुटाया है। 1931-33 के वित्तीय संकट के दौरान अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने आस्ट्रियाई और जर्मन, दोनों ही केन्द्रीय बैंकों के लिए सहायता ऋण जुटाए थे। 1960 वाले दशक में अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने फ्रांसीसी प्रैंक के लिए विशेष सहायता ऋण की व्यवस्था की थी (1968) तथा स्टर्लिंग को समर्थन प्रदान करने के लिए दो तथाकथित समूह व्यवस्थाएं की थीं (1966 और 1968)। अभी हाल ही में, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-प्रणीत स्थिरता कार्यक्रमों (यथा 1982 में मैक्सिको और 1998 में ब्राजील) के संदर्भ में वित्त प्रदान किया था।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

जे वक्र

यह बताने वाला एक सिद्धान्त कि किसी देश की मुद्रा में मूल्यह्रास के बाद उसका व्यापार घाटा प्रारंभ में वदतर होगा, क्योंकि विदेशी आयात पर (चुकाए गए) अपेक्षाकृत अधिक मूल्य आयात के घटे हुए परिमाण की अपेक्षा अधिक होंगे। आयात की तुलना में निर्यात के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव अन्ततः निर्यात के विस्तार तथा आयात में कमी को प्रेरित करेंगे, जिससे आगे चलकर भुगतान संतुलन में सुधार आएगा।

शब्दावली

उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA)

उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA) बैंकिंग संस्थाओं के लिए बासेल - II पूंजी पर्याप्तता नियमों के तहत प्रस्तावित परिचालन जोखिम मापन तकनीकों का एक समुच्चय (सेट) है। इस दृष्टिकोण के तहत बैंकों को परिचालन जोखिम हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए स्वयं अपने

अनुभवजन्य मॉडेल विकसित करने की अनुमति होती है। बैंक इस दृष्टिकोण का उपयोग केवल उनके स्थानीय विनियामकों के अनुमोदन की शर्त पर कर सकते हैं।

संस्थान समाचार

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए कोलकाता में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन निम्नानुसार किया था :

1. 17वीं / 18वीं जनवरी, 2011 को इलाहाबाद बैंक के लिए। इस कार्यक्रम में 26 अधिकारियों ने भाग लिया।
2. 19वीं से 20वीं जनवरी, 2011 को यूको बैंक के लिए। इस कार्यक्रम में 47 अधिकारियों ने भाग लिया।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 13वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 21वीं फरवरी से 26वीं फरवरी तक आयोजित होगा।

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम

बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम का अगला बैच वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च और एसआईईएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रारंभ होने जा रहा है। प्रवेश एवं अन्य ब्योरों के लिए www.weligkar.org और www. siescoms.edu. देखें।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम / परीक्षाएं

इस समय इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स अपने सदस्यों और गैर-सदस्यों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों / परीक्षाओं की सुविधाएं प्रदान कर रहा है :

सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम

1.जेएआईआईबी

2.सीएआईआईबी

सदस्यों / गैर-सदस्यों के लिए

डिप्लोमा परीक्षाएं

3.बैंकिंग उन्मुख हिन्दी
4.बैंकिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा
5.खज़ाना, निवेश एवं जोखिम प्रबन्धन में डिप्लोमा
6.अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा
7.बैंकरों के लिए पण्य व्युत्पन्नियों (Commodity Derivatives) में डिप्लोमा
8.सूक्ष्म वित्त व्यावसायिकों के लिए डिप्लोमा
9.गृह ऋण परामर्श में डिप्लोमा
10.शहरी सहकारी बैंकिंग में उन्नत डिप्लोमा
11.उन्नत धनसंपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम (पूर्ववर्ती पीजीडीएफए)

प्रमाण पत्र परीक्षाएं

12.व्यापार वित्त में प्रमाण पत्र
13.परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र
14.धन शोधन निवारण / अपने ग्राहक को जानिए में प्रमाण पत्र
15.प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर (CeISB) में प्रमाण पत्र परीक्षा
16.बैंकरों के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त में प्रमाण पत्र
17.बैंकिंग एवं वित्त के लिए मात्रात्मक पद्धति में प्रमाण पत्र
18.भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए खज़ाना और जोखिम प्रबन्धन में प्रमाण पत्र
19.ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक में प्रमाण पत्र

केवल गैर-सदस्यों के लिए

20.बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा
21.बैंकिंग की मूलभूत जानकारी में प्रमाण पत्र
22.बैंकिंग कार्य में प्रमाण पत्र
23.क्रेडिट कार्ड परिचालन में प्रमाण पत्र
24.ऋण वसूली एजेन्टों / टेली कालरों के लिए प्रमाण पत्र परीक्षा
25.कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक के लिए प्रमाण पत्र परीक्षा
विवरण के लिए देखें वेबसाइट : http://www.iibf.org.in

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

सीधी भर्ती प्रशिक्षण (ई- प्रशिक्षण)

उक्त कार्यक्रम नये भर्ती हुए लोगों को ई-लर्निंग के रूप में संरचित, गुणवत्तापरक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा तथा उन्हें जिस दिन वे बैंक में सेवारंभ करते हैं, उसी दिन से कार्य के लिए तैयार रखेगा। ई-प्रशिक्षण अभ्यर्थी जैसे ही चयनित सूची में शामिल किए जाते हैं, उसी समय से इस विधि से प्रदान किया जा सकता है कि वे बैंक में सेवारंभ करने के पहले दिन से ही कार्य के लिए तैयार मिलें। इससे बैंकों के प्रशिक्षण समय और लागत में भी कमी लाई जा सकती है।

प्रस्तावित ई-लर्निंग पैकेज में निम्नानुसार चार घटक शामिल होते हैं :

- बैंकिंग की मूलभूत जानकारी से सम्बन्धित ई-बुक
- बैंकिंग के परिचय से सम्बन्धित ई-लर्निंग
- कोर बैंकिंग से सम्बन्धित ई-लर्निंग
- परीक्षण

अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

21000
20500
20000
19500

19000
18500
18000
17500
17000
03/01/11 05/01/11 06/01/11 10/01/11 11/01/11 14/01/11 18/01/11
19/01/11 20/01/11 24/01/11 25/01/11 28/01/11 31/01/11
स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

78
73
68
63
58
53
48
43
03/01/11 04/01/11 05/01/11 07/01/11 13/01/11 19/01/11 21/01/11 24/01/11 28/01/11
31/01/11

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- माह के दौरान रुपये में मामूली सा मूल्यह्रास आया।
- व्यापक तौर पर श्रेणीबद्ध रहा।
- पूंजी बहिर्वाहों के बीच इक्विटी बाज़ारों में भारी गिरावट के बाद 7 जनवरी को डालर के समक्ष रुपया 45.38 के तीन सप्ताह के सर्वाधिक कम स्तर पर रहा।
- माह के दौरान यूरो के समक्ष रुपये में 5.34% का मूल्यह्रास हुआ।
- स्टर्लिंग अनियमित बना रहा तथा पौण्ड के समक्ष रुपये में 5% का मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

7.00
6.80

6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
01/01/11 03/01/11 04/01/11 06/01/11 08/01/11 13/01/11 14/01/11 17/01/11 22/01/11 24/01/11 25/01/11 27/01/11

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जनवरी, 2011

- मांग दरें 6.09 और 6.82 के बीच मंडराती रहीं।
- मांग दरें श्रेणीबद्ध रहीं।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) और मांग एवं जमा प्रमाण पत्र (CD) बाज़ार में अन्तरपणन परिलक्षित।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2011